

गैस परिवहन हेतु आवेदन पत्र

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	आयु (प्रमाण-पत्र संलग्न करें )	
4.	वर्तमान पता	
5.	स्थायी पता	
6.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	अनुभव (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
8.	गैस वितरण हेतु स्वयं के साधन का विवरण (वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न)	
9.	प्रति सिलेण्डर <u>परिवहन / वितरण</u> दर (अक्षरों में)	
10.	अनुबंध की शर्त सं.3 के अनुसार दो सम्मानीय व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
11.	निवास प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के बिल की फोटो प्रति संलग्न करें	
12.	स्थायी खाता सं.(पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें)	
13.	स्वयं का स्थायी मोबाइल नम्बर	
14.	निविदा की शर्त अनुबंध का पार्ट माना जावेगा	

हस्ताक्षर आवेदक

## परिवहन निविदा की शर्तें

1. निविदा दिनांक 3.5.2018 को 1:00 बजे तक भरी जावेगी एवं इसी दिन सायं 4:00 बजे खोली जायेगी।
1. प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ 70,000/- रूपये मात्र की डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि बतौर प्रतिभूति एवं आवेदन शुल्क राशि 500/- रूपये का डी.डी. आर.आर.एस.के.वी.एस., जयपुर के नाम एवं 1000/- आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से जमा कराना होगी स्वीकृत परिवहनकर्ता को अनुबन्ध के पूर्व 1.00 लाख रू. की किसी बीमा कम्पनी से राजफैड के पक्ष में फिडीलिटी गारन्टी देनी होगी। जमा राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। पूर्व में कार्यरत परिवहनकर्ता की जमा राशि 70,000/- रूपये की रसीद लगाने पर डी.डी. लगाने की आवश्यकता नहीं है।
2. किन्ही दो सम्मानीय व्यक्तियों से गत तीन वर्षों की जानकारी हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
3. प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में किसी गैस एजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
4. प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने पढने का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मैन् को इण्डियन ऑयल के द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफैड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वयं का मोबाईल चालू हालत में साथ रखना होगा। आई.ओ.सी. द्वारा निर्धारित वर्दी, तोलने का काटा, मोबाईल

- एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाडी में डिलीवरी मैन के स्वयं के खर्च पर रखना आवश्यक होगा।
6. डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में आना होगा तथा परिचय पत्र, कांटा एवं मोबाईल चालू हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफैड को देनी होगी। राजफैड द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भुगतान देय नहीं होगा।
  7. निविदा आवेदन पत्र पर एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगानी होगी जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करानी होगी।
  8. यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं करें यदि करते हैं एवं तथ्य का राजफैड को पता चलता है तो सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी एवं कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।
  9. परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डरों से अधिक सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।
  10. प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल राजफैड के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना की जानी होगी।
  11. सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहाँ लगाने पर प्रति सिलेण्डर 1000.00 रु. आर्थदण्ड देना होगा।
  12. एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.सं.11 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफैड को होगा।
  13. आई.ओ.सी. द्वारा कभी भी जाँच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा(जैसे डम्पिंग, कम तौल और लीकेज आदि)
  14. रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा पोईन्ट पर चैकिंग की जाने पर लगाये वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा एवं भविष्य के लिये राजफैड द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।

15. संघ के गैस गोदाम से प्राप्त किये गये 14.2 किग्रा एल.पी.जी. के भरे सिलेण्डर को संघ को सौंपने तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखे जावेगे। सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से 2300/- (दो हजार तीन सै रू.) वसूल किये जायेगे।
16. वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरों के नम्बर मिलाकर (चेक कर) प्राप्त किये जावेगें एवं बदले में प्राप्त खाली सिलेण्डर के नम्बर मिलाकर रिफिल वाउचर एवं उपभोक्ता पुस्तिका में दर्ज कर एक रिफिल वाउचर उपभोक्ता को देगे एवं उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक रिफिल वाउचर मय कूपन के सिलेण्डर नम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों की प्राप्त राशि के साथ पर्ची व कूपन जमा करानी होगी।
17. राजफैड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जाँच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी हाने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
18. खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को सभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय में अगले दिन प्रातः 11 बजे तक जमा करानी होगी। राशि समय पर जमा न कराने की तिथी में परिवहनकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वसूली की जावेगी।
19. सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात एक स्थान पर इकट्ठे नहीं किये जावेगें एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।
20. पजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी, साथ ही प्राप्ति रसीद उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।

21. बल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि बल्यू बुक 3 प्रविष्टि नहीं पायी जाती है तो प्रत्येक के लिये 200/-रु अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे।
22. सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जाँच कर तौलकर उपभोक्ता के यहाँ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वयं का होगा।
23. परिवहनकर्ता के द्वारा स्वयं का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन् के नाम व पता व पता चरित्र प्रमाण-पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।
24. प्रत्येक टेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवके पर निर्भर होगा।
25. गैस विमरण का कार्य राजफैड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।
26. सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की अच्छी कन्डीशन होगी होनी चाहिये ज्यादा पुराने वाहन का उपयोग नहीं करें। वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेगे जो कि परिवहनकर्ताओं के द्वारा अपने खर्च पर किया जावेगा परिवहनकर्ताओं द्वारा स्वयं के खर्चे पर गाड़ी का निर्धारित समय पर पोन्थुशन एवं फिटनेस जाँच करवाना अनिवार्य होगा।
27. परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक राजफैड का रहगा।
28. परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध की किन्ही शर्तों की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिक्यूरिटी की राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।
29. राजफैड द्वारा परिवहन कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य लागू करों की कटौती की जावेगी।
30. राजफैड द्वारा परिवहनकर्ता को वाणिज्यिक एवं घरेलु सिलेण्डर वितरण हेतु समान दर से प्रति सिलेण्डर की दर से सर्विस चार्ज प्रतिदिन जाने

- वाले सिलेण्डर की संख्या के आधार पर साप्ताहिक रूप से भुगतान किया जावेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि नहीं दी जावेगी। साप्ताहिक भुगतान की शर्त को राजफैड एवं टेकेदार की सहमति से परिवर्तित किया जा सकता है।?
31. यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण में अनियमितता करने पर इण्डियन ऑयल, जिला रसद अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। इस हेतु देस कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
  32. यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो पूर्व में राजफैड गैस प्रभारी को सूचित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
  33. गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफैड द्वारा इस अवधि को 6 माह हेतु बढ़ाया जा सकता है। राजफैड प्रशासन एवं परिवहनकर्ता की आपसी सहमति से इस अवधि को 6 माह पश्चात् एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकता है।
  34. कार्य अवधि से पूर्व छोड़ने अथवा कार्य में अनियमिता पाये जाने पर प्रतिभूति राशि 70,000/- रु. जब्त कर ली जावेगी।
  35. उक्त शर्तों की सहमति बाबत 500/- रु. के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर राजफैड के साथ स्वयं के खर्चों पर अनुबन्ध किया जाना होगा। मूल अनुबन्ध राजफैड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता